न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 39/2021/अपील

धर्मपाल पुत्र जवाहरमल जाति अहीर निवासी पलासला तन टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार नीमकाथाना

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2021 मु.न. 16/2021 अनुवानी सरकार बनाम धर्मपाल द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार पटेल

निर्णय **दिनांकः—14.10.2021**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी के खाते, कब्जे, काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 681, 682 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5100 हैक्टयर ग्राम पलासला पटवार हल्का टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अपीलान्ट के स्व0 दादा भूरा पुत्र देवकरण हिस्सा 1/8 जाति अहिर के नाम से दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्ट एक अतिलघु कृषक है। अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का टोडा के द्वारा 0.02 हैक्टयर किस्म बजंड भूमि पर अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के दादा स्व0 भूरा पुत्र देवकरण के समय से ही कब्जे काश्त में लगभग 50 वर्षों से है। उक्त भूमि को अपीलान्ट कदीम से रास्ता के उपयोग हेतु कर रहा है। उक्त भूमि की किस्म बजंड है, इसलिये उक्त भूमि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन होने योग्य है। राजनैतिक विद्वेषतापूर्वक अपीलान्ट के एक सहखातेदार लियाकत अली की झूठी शिकायत पर अपीलान्ट के विरूद्ध 91 अल0आर0 एक्ट 1956 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अपीलान्ट पर नोटिस की सम्यक तामिल भी नहीं हुई, ना ही इस भूमि तथाकथित अतिक्रमित भूमि की नपती पटवारी द्वारा की गई। प्रार्थी/अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुये मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर प्रार्थी की अनुपस्थिति में विधि विरूद्ध आलौच्य आदेश दिनांक 16.06.21 जारी करते हुये लगान की 50 गुणा पेलेन्टी कायम कर दी गयी तथा बेदखली के आदेश दिये गये। प्रार्थी/अपीलान्ट के पडौसियों की झूंठी शिकायतों में आकर हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके पर गये ही रिपोर्ट पेश की गई जो सर्वथा गलत है उक्त तथाकथित अतिक्रमित भूमि के बारे में मौके पर जाकर न ही पटवारी द्वारा नपती की गयी। प्रार्थी/अपीलान्ट को धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही की कोई जानकारी भी नहीं थी। प्रार्थी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में माननीय अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही चलती रही जिससे प्रार्थी/अपीलान्ट अनभिज्ञ, अनजान रहा। खसरा नम्बर 685/1 पर कई अन्य व्यक्ति भी अतिक्रमी है तथा उक्त खसरा नम्बर में आबादी व कई मकानात बने हुये है, अपीलान्ट के विरूद्ध मात्र द्वेषतापूर्वक कार्यवाही की गई है, अन्य अतिक्रमियों पर कोई

कार्यवाही नहीं की गयी है, उक्त सम्पूर्ण खसरा ही नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की सम्यक तामील किये वगैर ही प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। सम्यक तामील न होने पर न्यायालय का दायित्व बनता है कि दुबारा नोटिस जारी किये जाये। परन्तु हस्तगत प्रकरण में सम्यक तामील न होने के वावजूद भी कोई नोटिस दुबारा जारी नहीं किया गया। उक्त अतिक्रमित कब्जा काफी पुराना शान्तिपूर्ण है। प्रार्थी/अपीलान्ट हल्का पटवारी के बयान नहीं होने से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी नहीं मिला तथाकथित अतिक्रमण की शिकायत के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं ली गई। तहसीलदार महोदय नीमकाथाना द्वारा मात्र कल्पना कयास के आधार पर ही प्रार्थी/अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार अक्त आलोच्य आदेश दिनांक 16.06.21 निरस्त होने येाग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.21 निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजुद सूचना अनुपस्थित रहा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम पलासला के खसरा नम्बर 685/1 रकबा 0.26 है0 किस्म बंजड़ में से 0.02 है0 भूमि पर पुख्ता डण्डा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह भी तथ्य अंकित किया है कि खसरा नम्बर 685/1 पर कई अन्य व्यक्ति भी अतिक्रमी है तथा उक्त खसरा नम्बर में आबादी व कई मकानात बने हुये है। इस प्रकार अपीलांट स्वयं द्वारा भी अतिक्रमण माना है। अतिक्रमित भूमि की किस्म बंजड़ है। बंजड़ भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः बंजड़ भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 16.06.2021 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर